राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

ा /18

रजू दिनांक 04.01.2018

निर्णय दिनांक 20.07.2018

अनुवान

श्रीमती राजबाला देवी पत्नि रणसिंह जाति जाट निवासी –माजरी भाण्डा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राज0)

श्रीमती स्नेहलता देवी पत्नि बच्चूसिंह जाति जाट निवासी माजरी भाण्डा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राज0)

श्रीमती अनारली देवी पत्नि श्री मूलचन्द जाति जाट, निवासी दूनवास, तहसील मुण्ड़ावर।

:–वादीयागण

बनाम

बिमलेश देवी उर्फ मिथलेश पत्नि राजकुमार जाति महाजन निवासी बहरोड, तहसील बहरोड, जिला अलवर (राज0)

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर (राज0)

:–प्रतिवादीगण

दावा–इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अर्न्तगत धारा– 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0

ारिथति:–

श्री अशोक चौधरी प्रथम –वकील वादीयागण

उपखण्डाधिकारी
मुण्ड़ावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

–::निर्णय::–

दिनांकः– 20.07.2018

आज यह पत्रावली सुनाये जाने निर्णय आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित ाये। सुना गया। वादीगण का सारतः रहा कि हाल आराजी खसरा नम्बर 609/0.53 हैक्0 ग 2769/56951 भाग वाके ग्राम सोडावास, तहसील मुण्डावर में स्थित होकर प्रतिवादी ंख्या 1 की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है। जिसे प्रतिवादिया ने जरिये जिस्टर्ड बयनामा के दिनांक 11.05.2011 को बएवज प्रतिफल मिन वादीगण को कर दिया था मौके पर कब्जा करा दिया लेकिन मिन वादीगण के नाम बयनामा का इंतकाल दर्ज ही हुआ। वादीगण वक्त खरीद से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अब तिवादिया संख्या 1 के मन में बदयांति आ रही है, जो अपने नाम दर्ज रिकार्ड का खिलाफ मौका व खिलाफ कानून बेजा फायदा उठाकर दिगर लोगों को मुंतकिल करना ाहती है। मिन वादीगण विवादित आराजी को अपने नाम बयनामा के आधार पर खातेदार ाश्तकार घोषित कराकर प्रतिवादिया संख्या 1 का नाम हजफ कराने के अधिकारी है। ़नांक 04.12.2017 को प्रतिवादिया संख्या 1 ने मिन वादीगण के उपयोग उपभोग में जाहमत पैदा कर बेदखल करने का प्रयास किया मना किया तो धमकी दी कि आराजी रे नाम है। दीगर वयक्ति को बेचान कर दूंगी, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 से अपने नाम यनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करवाने बाबत कहा तो असमर्थता जाहिर करते हुएं क्षम अदालत से इंतकाल दर्ज कराने बाबत् कहा बस यही वाद हेतु बिनायदावी व नायमुखासमत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है, का निवेदन करते हुए वाद वादी रखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि ादीगण के नाम उपरोक्त आराजीयात का बयनामा दिनांक 11.05.2011 के आधार पर मिन ादीया संख्या 1 के नाम 1/2 भाग, वादीया संख्या 2 के नाम 1/4 भाग व वादीया ंख्या 3 के नाम 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी ंख्या 1 का नाम हजफ कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी अनुपस्थित हने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

वादीगण ने अपने वाद पत्र की ताईद में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र अनारली वी पी.डब्ल्यू.–1, लालाराम पी.डब्ल्यू.–2 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप बयनामा दिनांक 1.05.2011 की प्रति प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–72 प्रदर्श–2 पेश की जो ामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई,एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दौराने बहस वकील वादी ने वादीगण के वाद पत्र के जेम्मनों को दोहराते हुए कथन किया कि, उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है, जिसे उसने वादीगण के हक में जरिये रजिस्टर्ड यनामा दिनांक 11.05.2011 बएवज प्रतिफल प्राप्त कर मौके पर कब्जा कराकर बयनामा तस्दीक करा दिया। वादीगण ग्रामीण व साक्षर महिला है, जो आराजी खरीद करने के बाद यनामा का इंतकाल अपने नाम दर्ज नही करवाया एवं अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में दयांति आ गई है और अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड के आधार पर दीगर जगह ुंतकिल करने पर उतारू है। कब्जा आज दिन तक वादीगण का है। वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत बयनामा प्रदर्श–1 दिनांक 1.05.2011 की प्रति अनुसार आराजी खसरा नम्बर 609 रकबा 0.53 हैक्0 का 769/56951 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड होकर उक्त हिस्से आराजी को ाजबाला देवी पत्नि रणसिंह को 1/2 भाग, स्नेहलता देवी पत्नि बच्चूसिंह को 1/4 भाग ्वं अनारली देवी पत्नि मूलचन्द के पक्ष में 1/4 भाग, बिमलेश उर्फ मिथलेश देवी पत्नि ाजकुमार द्वारा उक्त बयनामा तस्दीक व पंजीबद्ध पाया जाता है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत ाकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 प्रदर्श–2 अनुसार उक्त विवादित आराजी का प्रतिवादी ांख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं मौखिक साक्ष्य अनुसार भी उक्त विवादित आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दिया जाना एवं वक्त खरीद से वादीगण का कब्जा मौके पर होना स्पष्ट रूप से साबित पाया जाता है, ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

—:आदेश:—

अतः यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0न0 609 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम सोडावास, तहसील मुण्डावर का 2769/56951 भाग के बाबत वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल रिकार्ड में अंकित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजी के बाबत वादी संख्या 1 को 1/2 भाग का, वादी संख्या 2 को 1/4 भाग का एवं वादी संख्या 3 को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय सुनाया गया।

20.07.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी ... राज0

Scanned by CamScanner

<u>राजस्थान सरकार</u>

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)</u>

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

ावा	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
7 / 18	04.01.2018	20.07.2018

अनुवान

1. श्रीमंती राजबाला देवी पत्नि रणसिंह जाति जाट निवासी माजरी भाण्डा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राज0)

2. श्रीमती स्नेहलता देवी पत्नि बच्चूसिंह जाति जाट निवासी माजरी भाण्डा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राज0)

3. श्रीमती अनारली देवी पत्नि श्री मूलचन्द जाति जाट, निवासी दूनवास, तहसील मुण्डावर।

:–वादीयागण

बनाम

3. बिमलेश देवी उर्फ मिथलेश पत्नि राजकुमार जाति महाजन निवासी बहरोड, तहसील बहरोड, जिला अलवर (राज0)

4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर (राज0)

:–प्रतिवादीगण

दावा–इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अर्न्तगत धारा– 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

–:: पर्चा डिक्री ::–

दिनांकः– 20.07.2018

श्री अशोक चौधरी प्रथम वकील वादी की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 20.07.2018 को **महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

हाल आराजी ख0न0 609 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम सोडावास, तहसील मुण्डावर का 2769/56951 भाग के बाबत वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल रिकार्ड में अंकित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजी के बाबत वादी संख्या 1 को 1/2 भाग का, वादी संख्या 2 को 1/4 भाग का एवं वादी संख्या 3 को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 20.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(महेश चन्द मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner